फ़ाइल संख्या-13-20011/5/2020-इंजी-नौमनि दिनांक:12-02-2024

वाणिज्य पोतपरिवहन संख्या 2024 का 05

विषय-मारपोल कन्वेंशन में संशोधन-संबंधी

जबकि, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2010 में जीएसआर.329(ई) के माध्यम से वाणिज्य पोतपरिवहन (पोतों से प्रदूषण की रोकथाम) नियम अधिसूचित किया गया है।

जबकि उपरोक्त नियमों की शुरुआत के बाद से, मारपोल अनुलग्नक-I में कई संशोधन हुए और वापोप अधिनियम, 1958 की धारा 356 (बी) (ई) में मारपोल की परिभाषा के आधार पर इसे भारतीय जहाजों पर लागू किया गया, जो मारपोल कन्वेंशन को जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1973 के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें 1978 का प्रोटोकॉल भी शामिल है, जिसे समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया गया है।

जबकि, संशोधित वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम, 1958, कन्वेंशन को शामिल करता है और इसे धारा 356 बी 9 (ई) में "जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1973, समय-समय पर संशोधित 1978 के प्रोटोकॉल सहित" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, कन्वेंशन में बताए गए अनिवार्य कोड और समय-समय पर इसके संशोधन प्रभावी हैं और जलयानों पर लागू हैं।

जबकि, वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम, भाग XI ए. धारा 356 ए से 356 ओ सभी भारतीय और विदेशी जहाजों पर मारपोल कन्वेंशन के तहत विभिन्न आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए विधायी प्रावधान और शक्तियां प्रदान करता है।

जबकि, मान्यता प्राप्त संगठनों (आरओ) को 26 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, और जैसा कि बताया गया है कि कन्वेंशन के अनुसार सर्वेक्षण और प्रमाणन करने के लिए प्रत्येक आरओ के साथ एक समझौता किया गया है।

यह देखते हुए कि, आईएमओ ने समय-समय पर मारपोल के विभिन्न संशोधन जारी किए हैं जो इस आदेश के साथ "अनुलग्नक- I, अनुलग्नक- II, अनुलग्नक -III" में संलग्न हैं। वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम में परिभाषित कन्वेंशन में ऐसे संशोधन पहले से ही प्रभावी हैं और भारतीय जलयानों पर लागू है।

इस वापोप सूचना के माध्यम से निदेशालय उन सभी संशोधनों के संबंध में मार्गदर्शन जारी करने का उद्देश्य रखता है, जो पोतों से तेल द्वारा प्रदूषण की रोकथाम की एमएस अधिसूचना 2010 के जारी होने के बाद से लागू

हुए हैं।

इसलिए हितधारक "जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1973 एवं इसके प्रोटोकॉल 1978 सहित" को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के प्रावधानों के अनुपालन के लिए इस आदेश एवं पहले के आदेश/परिपत्र/नोटिस द्वारा मार्गदर्शन लें।

इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है एवं इस सूचना के जारी होने की तिथि से प्रभाव में आएगी।

(जे. सेंथिल कुमार)
इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक-सह-उप नौमनि(तक.)

सेवा में,

1. प्रधन अधिकारी/सवावि, मुंबई/कोलकोता/चेन्नई/कांडला/कोच्चि
2. प्रभारी सर्वेक्षक, सवावि,गोवा/जामनगर/पोर्ट ब्लेयर/विशाखापत्तनम/तूतिकोरिन/नोएडा/हल्दिया/पारादीप/मंगलोर
3. सभी मान्यता प्राप्त संगठन
4. मुख्य सर्वेक्षक /नॉटिकल सलाहकार/उप मुख्य पोत सर्वेक्षक
5. कंप्यूटर कक्ष को नौमनि के वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. नौमनि के वैबसाइट के द्वारा सभी हितधारकों को